

द एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड, चाईबासा सीमेंट वर्क्स, झींकपानी

बनाम

उनके श्रमिक

11 सितम्बर, 1959

(एस. आर. दास, मुख्य न्यायाधीश; एस. के. दास एवं एम. हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति गण)

औद्योगिक विवाद—छंटनी क्षतिपूर्ति—अयोग्यता—सीमेंट कारखाना—चूना पत्थर खदान—क्या दोनों एक ही स्थापना के अंग हैं—चूना पत्थर खदान में हड़ताल के कारण सीमेंट कारखाने के श्रमिकों की छंटनी—“स्थापना के किसी अन्य भाग में” का अर्थ—यह निर्धारण करने का परीक्षण कि कोई इकाई किसी बड़े स्थापना का भाग है या नहीं—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63), धारा 2(एम)—बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 (1951 का 69), धारा 2(एफ)—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35), धाराएँ 2(ज), 17—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), धाराएँ 2(केकेके), 18(3), 25 सी, 25 ई, 33।

विवादित सीमेंट कारखाना, जो बिहार राज्य में स्थित है, अपीलकर्ता कंपनी का था और उसी कंपनी के स्वामित्व वाली एक चूना पत्थर की खदान कारखाने से लगभग डेढ़ मील की दूरी पर स्थित थी। चूना पत्थर, सीमेंट के निर्माण के लिए प्रमुख कच्चा माल होने के कारण, कारखाना उक्त खदान पर ही उसकी आपूर्ति के लिए पूर्णतः निर्भर था। चूना पत्थर खदान के श्रमिकों की ओर से कंपनी के प्रबंधन के समक्ष कुछ माँगें प्रस्तुत की गईं, किन्तु उनके अस्वीकृत हो जाने पर वे हड़ताल पर चले गए; और हड़ताल के कारण चूना पत्थर की आपूर्ति न होने से, प्रबंधन को कारखाने के कुछ अनुभागों को बंद करना पड़ा तथा उन श्रमिकों को, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, संबंधित अवधि के दौरान छंटनी करना पड़ा। तत्पश्चात्, जब प्रबंधन और चूना पत्थर खदान के श्रमिकों के बीच विवाद का निपटारा हो गया और हड़ताल समाप्त हो गई, तब कारखाने के उन श्रमिकों की ओर से, जिन्हें हड़ताल के दौरान छंटनी किया गया था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 सी के अधीन छंटनी क्षतिपूर्ति के भुगतान की माँग की गई; किन्तु प्रबंधन ने अधिनियम की धारा 25 ई के खंड (iii) पर निर्भर करते हुए इस माँग को अस्वीकार कर दिया, जिसमें यह प्रावधान है कि “किसी ऐसे श्रमिक को, जिसे छंटनी किया गया हो.....कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी, यदि ऐसी छंटनी हड़ताल के कारण हो.....जो स्थापना के किसी अन्य भाग के श्रमिकों द्वारा की गई हो।” औद्योगिक अधिकरण ने यह अभिमत व्यक्त किया कि चूना पत्थर की खदान सीमेंट कारखाने के स्थापना का भाग नहीं थी और इसलिए बाद के श्रमिक धारा 25 ई के खंड (iii)

के कारण छंटनी क्षतिपूर्ति के अधिकारी नहीं थे। अपीलकर्ता कंपनी ने विशेष अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और यह प्रतिपादित किया कि अधिकरण का निर्णय त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि वाद के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि (क) कारखाने और चूना पत्थर खदान दोनों के संबंध में स्वामित्व की एकता, प्रबंधन की एकता, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की एकता, वित्त तथा रोजगार की एकता, श्रम और सेवा की शर्तों की एकता, कार्यात्मक एकीकरण, उद्देश्य की सामान्य एकता तथा भौगोलिक निकटता विद्यमान थी; तथा (ख) हड़ताल उसी श्रमिक संघ द्वारा घोषित की गई थी, जिसमें कारखाने और खदान दोनों के श्रमिक सम्मिलित थे। उत्तरदाताओं की ओर से, *अन्य बातों के साथ*, यह प्रतिपादित किया गया कि (1) औद्योगिक अधिकरण का यह निष्कर्ष कि कारखाना और चूना पत्थर की खदान एक ही स्थापना के अंग नहीं हैं, एक तथ्यात्मक निष्कर्ष है, जिसे विशेष अनुमति से अपील में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए; (2) अधिनियम की धारा 25 ए का स्पष्टीकरण इस विचार के प्रतिकूल है कि एक कारखाना और एक खान मिलकर एक ही स्थापना के भाग बन सकते हैं; तथा (3) औद्योगिक विवादों के संदर्भ में, अधिनियम दो भिन्न प्राधिकारों को अधिकार-क्षेत्र प्रदान करता है—चूना पत्थर की खदान के संबंध में केन्द्रीय सरकार को और कारखाने के संबंध में राज्य सरकार को—अतः दोनों इकाइयों, अर्थात् कारखाना और खान, को एक ही स्थापना के रूप में नहीं माना जा सकता।

अभिनिर्धारित: (1) कि यह प्रश्न कि क्या कारखाना और चूना पत्थर की खदान एक ही स्थापना का निर्माण करते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 ई के खंड (iii) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “स्थापना के किसी अन्य भाग में” के वास्तविक क्षेत्र और प्रभाव पर निर्भर करता है, और इसमें उन परीक्षणों पर विचार करना आवश्यक है, जिन्हें यह निर्धारित करने में लागू किया जाना चाहिए कि कोई विशिष्ट इकाई किसी बड़े स्थापना का भाग है या नहीं; यद्यपि इस प्रयोजन हेतु कुछ प्रारंभिक तथ्यों का निर्धारण आवश्यक है, तथापि उनसे निकाला जाने वाला अंतिम निष्कर्ष मात्र तथ्य का प्रश्न नहीं है;

(2) कि अधिनियम की धारा 25 ए के स्पष्टीकरण का वास्तविक क्षेत्र और प्रभाव यह है कि वह यह स्पष्ट करता है कि कौन-कौन सी श्रेणियाँ—कारखाना, खान या बागान—“औद्योगिक स्थापना” की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती हैं; यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है कि कौन-सी इकाई एक स्थापना का निर्माण करती है और न ही उस प्रश्न के निर्धारण हेतु कोई परीक्षण निर्धारित करता है;

(3) कि दो अधिकार-क्षेत्रों का अस्तित्व अनिवार्य रूप से यह अभिप्रेत नहीं करता कि अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए, और विशेषतः बेरोजगारी क्षतिपूर्ति के भुगतान के संदर्भ में, कारखाना और खदान को पृथक-पृथक प्रतिष्ठानों के रूप में ही माना जाए; तथा

(4) कि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के आधार पर चूना पत्थर की खदान और

कारखाना धारा 25 ई के खंड (iii) के अर्थ में एक ही स्थापना का निर्माण करते हैं और अतः कारखाने के श्रमिक छंटनी क्षतिपूर्ति के दावा करने के अधिकारी नहीं थे।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1958 की दीवानी अपील संख्या 87

बिहार, पटना स्थित औद्योगिक अधिकरण द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 1956 को पारित अधिनिर्णय (संदर्भ संख्या 6 वर्ष 1956) के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील।

आर. जे. कोलाह, एस. एन. एंडले तथा रमेश्वर नाथ, अपीलकर्ताओं की ओर से।

बी. सी. घोष तथा पी. के. चटर्जी, उत्तरदाताओं की ओर से।

11 सितम्बर, 1959। न्यायालय का निर्णय एस. के. दास, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया—

यह अपील, जो बिहार, पटना स्थित औद्योगिक अधिकरण द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 1956 को पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति से दायर की गई है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 25 ई के अधीन, धारा 25 सी के साथ पढ़े जाने पर, छंटनी क्षतिपूर्ति से संबंधित अयोग्यता के विषय में व्याख्या का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है, और जहाँ तक हमारी जानकारी है, यह इस प्रकार का पहला मामला है जिसमें धारा 25 ई के खंड (iii) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "स्थापना के किसी अन्य भाग में" की अधिकृत व्याख्या के लिए प्रश्न उत्पन्न हुआ है।

तथ्य सरल हैं और संक्षेप में निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। द एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज़ लिमिटेड, जिसे आगे 'कंपनी' कहा गया है, के भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों तथा पाकिस्तान में अनेक सीमेंट कारखाने हैं। बिहार राज्य में ऐसे दो कारखाने हैं, एक खेलेरी में और दूसरा बिहार के चाईबासा जिले के झींकपानी नामक स्थान पर। बाद वाला कारखाना सामान्यतः 'चाईबासा सीमेंट वर्क्स' के नाम से जाना जाता है। उसी कंपनी के स्वामित्व में एक चूना पत्थर की खदान भी है, जो चाईबासा सीमेंट वर्क्स से लगभग डेढ़ मील की दूरी पर स्थित है, और उक्त खदान 'राजंका चूना पत्थर खदान' के नाम से जानी जाती है। चूना पत्थर, सीमेंट के निर्माण के लिए प्रमुख कच्चा माल है और चाईबासा सीमेंट वर्क्स उक्त खदान पर ही चूना पत्थर की आपूर्ति के लिए पूर्णतः निर्भर था। इस अपील से संबंधित समय पर, उक्त खदान में दो वर्ग के श्रमिक थे—एक वे जो कंपनी द्वारा चाईबासा सीमेंट वर्क्स के प्रबंधन के माध्यम से नियोजित थे और दूसरे वे जो एक ठेकेदार द्वारा नियोजित थे। एक श्रमिक संघ 'चाईबासा सीमेंट वर्क्स यूनियन' के नाम से था, जिसे आगे 'यूनियन' कहा गया है, जिसके सदस्य कंपनी के दोनों श्रमिक—सीमेंट वर्क्स तथा खदान—दोनों स्थानों के श्रमिक थे। एक अन्य संघ भी था, जो ठेकेदार के श्रमिकों से बना था और जिसे 'ए. सी. सी. लाइमस्टोन कॉन्ट्रैक्टर के मजदूर यूनियन' के नाम से जाना जाता था। 3

जनवरी, 1955 को, यूनियन ने चूना पत्थर खदान के श्रमिकों की ओर से प्रबंधन के समक्ष कुछ माँगें प्रस्तुत कीं, किन्तु उन्हें प्रबंधन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तत्पश्चात्, दिनांक 18 फरवरी, 1955 के पत्र द्वारा, यूनियन के महासचिव ने चाईबासा सीमेंट वर्क्स के प्रबंधक को इस आशय की सूचना दी कि यूनियन चूना पत्थर खदान में 1 मार्च, 1955 से सामान्य हड़ताल आयोजित करने का प्रस्ताव रखती है, यदि कुछ माँगें—जिनका विवरण हमारे प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं हैं—28 फरवरी, 1955 तक स्वीकार नहीं की जाती हैं। इसी प्रकार की सूचना ए.सी.सी. लाइमस्टोन कॉन्ट्रैक्टर के मजदूर यूनियन की ओर से भी दी गई। इन सूचनाओं के परिणामस्वरूप सुलह के कुछ प्रयास किए गए, जो सफल नहीं हुए। 24 फरवरी, 1955 को, प्रबंधन ने चाईबासा सीमेंट वर्क्स के सभी कर्मचारियों को एक सूचना जारी की, जिसमें यह कहा गया कि चूना पत्थर खदान में हड़ताल होने की स्थिति में, चूना पत्थर की आपूर्ति न होने के कारण झींकपानी स्थित कारखाने के कुछ अनुभागों को बंद करना आवश्यक हो जाएगा; उक्त सूचना में यह भी कहा गया कि ऐसे बंदी की स्थिति में, संबंधित अवधि के दौरान जिन श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें छंटनी करना आवश्यक होगा। हड़ताल 1 मार्च, 1955 को प्रारंभ हुई और 4 जुलाई, 1955 तक चली। 25 मार्च, 1955 को, प्रबंधन ने यूनियन के महासचिव को पत्र लिखकर सूचित किया कि 19 मार्च, 1955 के पूर्व पत्र में उल्लिखित कुछ विभागों के श्रमिकों को 1 अप्रैल, 1955 से छंटनी किया जाएगा। 28 मार्च, 1955 को, प्रबंधन ने उन कर्मचारियों की सूची दी जिन्हें 1 अप्रैल, 1955 से छंटनी किया जाना था, और वास्तव में उन्हें उसी तिथि से छंटनी कर दिया गया। हड़ताल की अवधि के दौरान सुलह के लिए पुनः प्रयास किए गए और अंततः हड़ताल 5 जुलाई, 1955 को समाप्त हुई, जब केन्द्रीय सरकार ने प्रबंधन और चूना पत्थर खदान के श्रमिकों के बीच विवाद को धनबाद स्थित केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण को संदर्भित किया। यह संदर्भ, तथापि, 7 दिसंबर, 1955 को हुए एक समझौते की शर्तों के अनुसार, पारस्परिक सहमति से वापस ले लिया गया। उक्त समझौते का विवरण इस अपील के लिए प्रासंगिक नहीं है।

तत्पश्चात्, यूनियन द्वारा उन श्रमिकों के लिए छंटनी क्षतिपूर्ति के भुगतान की माँग की गई, जो चाईबासा सीमेंट वर्क्स में 1 अप्रैल, 1955 से 4 जुलाई, 1955 की अवधि के लिए छंटनी किए गए थे। इस माँग को प्रबंधन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे बिहार सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 10 के अधीन बिहार स्थित औद्योगिक अधिकरण को संदर्भित किया गया। संदर्भ की शर्तों में उक्त विवाद को निम्नलिखित शब्दों में विनिर्दिष्ट किया गया:

“क्या चाईबासा सीमेंट वर्क्स के श्रमिक 1 अप्रैल, 1955 से 4 जुलाई, 1955 की अवधि के लिए छंटनी क्षतिपूर्ति के अधिकारी हैं।”

पक्षकारों ने औद्योगिक अधिकरण के समक्ष लिखित कथन दायर किए और वाद में परीक्षित एकमात्र साक्षी श्री डोंगरे, प्रबंधक, चाईबासा सीमेंट वर्क्स, झींकपानी थे।

इस बिंदु पर, अधिनियम की उन दो धाराओं का अवलोकन करना आवश्यक है, जो श्रमिकों के छंटनी क्षतिपूर्ति के अधिकार तथा उन परिस्थितियों से संबंधित हैं, जिनमें वे उससे अयोग्य हो जाते हैं। यह अधिकार धारा 25 सी में निहित है और अयोग्यता धारा 25 ई के तीन खंडों में वर्णित है, जिनमें से केवल तीसरा खंड हमारे प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम अपने प्रयोजन के लिए प्रासंगिक सीमा तक धाराएँ 25 सी और 25 ई का पाठ करते हैं:

“25 सी. (1) जब भी कोई श्रमिक (जो न तो स्थायी रूप से बदली श्रमिक है और न ही आकस्मिक श्रमिक है) जिसका नाम किसी औद्योगिक स्थापना की कर्मचारी उपस्थिति सूची में अंकित है और जिसने किसी नियोक्ता के अधीन एक वर्ष से कम निरंतर सेवा पूर्ण नहीं की है, छंटनी किया जाता है, तब उसे प्रत्येक उस दिन के लिए, जिस दिन वह छंटनी की स्थिति में रहता है, ऐसे साप्ताहिक अवकाश दिवसों को छोड़कर, जो बीच में आते हों, नियोक्ता द्वारा ऐसी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, जो उसके मूल वेतन और महंगाई भत्ते की कुल राशि के पचास प्रतिशत के बराबर होगी, जो उसे देय होती यदि उसे छंटनी न किया गया होता।”

“25 ई. किसी ऐसे श्रमिक को, जिसे छंटनी किया गया है, क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी—

(i)

(ii)

(iii) यदि ऐसी छंटनी उत्पादन में हड़ताल या मंदी के कारण हो, जो स्थापना के किसी अन्य भाग के श्रमिकों द्वारा की गई हो।”

अब, वह केंद्रीय बिंदु जिसके चारों ओर पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है, यह है: क्या चाईबासा सीमेंट वर्क्स के कुछ अनुभागों के श्रमिकों की छंटनी स्थापना के किसी अन्य भाग में श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल के कारण हुई थी, जैसा कि धारा 25 ई के खंड (iii) में अभिप्रेत है? अन्य शब्दों में, क्या राजंका की चूना पत्थर खदान, चाईबासा सीमेंट वर्क्स के रूप में ज्ञात स्थापना का भाग थी? प्रबंधन की ओर से यह प्रतिपादित किया गया कि सीमेंट वर्क्स और चूना पत्थर की खदान दोनों मिलकर उक्त खंड (iii) के अर्थ में एक ही स्थापना का निर्माण करते हैं। श्रमिकों की ओर से यह प्रतिपादित किया गया कि वे एक ही स्थापना के भाग नहीं हैं, बल्कि पृथक स्थापना हैं। औद्योगिक अधिकरण के माननीय अध्यक्ष ने, जिन कारणों पर हम आगे विचार करेंगे, यह धारित किया कि चूना पत्थर की खदान

चाईबासा सीमेंट वर्क्स के रूप में ज्ञात स्थापना का भाग नहीं थी और इस कारण बाद के श्रमिक धारा 25 ई के खंड (iii) के अधीन छंटनी क्षतिपूर्ति के अधिकारी नहीं थे। इस दृष्टिकोण की शुद्धता इस अपील में निर्णय के लिए मुख्य बिंदु है।

उत्तरदाता श्रमिकों की ओर से यह प्रतिपादित किया गया है कि औद्योगिक अधिकरण का यह निष्कर्ष कि झींकपानी स्थित कारखाना और राजंका स्थित चूना पत्थर की खदान एक ही स्थापना के भाग नहीं हैं, एक तथ्यात्मक निष्कर्ष है और इस अपील का निस्तारण उसी आधार पर किया जाना चाहिए। हम यह नहीं मानते कि यह प्रतिपादन सही है और हम इस पर आगे विचार करेंगे। तथापि, हम राजंका की चूना पत्थर खदान और झींकपानी स्थित सीमेंट कारखाने के बीच संबंध का परीक्षण, अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य तथा उसके द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के आलोक में करने का प्रस्ताव रखते हैं; क्योंकि वे यह प्रदर्शित करेंगे कि अधिकरण अपने अंतिम निष्कर्ष तक किस प्रकार पहुँचा।

साक्ष्य वास्तव में निर्विवाद था और परीक्षित एकमात्र साक्षी श्री डोंगरे, चाईबासा सीमेंट वर्क्स के प्रबंधक थे। अब, चूना पत्थर की खदान और कारखाने के बीच संबंध का परीक्षण विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जा सकता है, जैसे—(1) स्वामित्व, (2) नियंत्रण और पर्यवेक्षण, (3) वित्त, (4) प्रबंधन और रोजगार, (5) भौगोलिक निकटता, और (6) उद्देश्य की सामान्य एकता तथा कार्यात्मक एकात्मता, विशेष रूप से सीमेंट के निर्माण की औद्योगिक प्रक्रिया के संदर्भ में। उपर्युक्त सभी बिंदुओं के संबंध में श्री डोंगरे ने साक्ष्य दिया। यह विवादित नहीं था कि कंपनी के स्वामित्व में चूना पत्थर की खदान भी थी और कारखाना भी, और इस प्रकार स्वामित्व की एकता विद्यमान थी। श्री डोंगरे के साक्ष्य से आगे यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रबंधन तथा रोजगार में भी एकता थी। उन्होंने कहा कि चूना पत्थर की खदान को चाईबासा सीमेंट वर्क्स का अभिन्न अंग माना जाता था, अर्थात् वह उसका एक विभाग था और वे, प्रबंधक के रूप में, दोनों पर समग्र नियंत्रण रखते थे, यद्यपि उनके अधीन एक विभागाध्यक्ष के रूप में एक खदान प्रबंधक भी था। इस बिंदु पर श्री डोंगरे ने कहा:—

“खदानों के लिए एक प्रबंधक नियुक्त है। वह मेरे अधीन कार्य करता है। सीमेंट वर्क्स में लगभग आठ या नौ विभाग हैं। प्रत्येक विभाग के प्रमुख होते हैं। खदान के प्रबंधक का दर्जा सीमेंट वर्क्स के अन्य विभागों के प्रमुखों के समान है।”

इसका समर्थन दिनांक 11 मार्च, 1952 के एक परिपत्र पत्र द्वारा हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि समस्त कारखाना और उससे संबंधित खदानें प्रबंधक के एकमात्र नियंत्रण में हैं, जो अपेक्षित मानक तक पूर्ण उत्पादन को आर्थिक लागत पर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। उक्त परिपत्र पत्र में आगे यह भी कहा गया कि कारखाने और खदानों के संचालन से संबंधित सभी आदेश एवं अनुबंध प्रबंधक द्वारा जारी किए जाएंगे और संबंधित बिल भी उनके द्वारा पारित किए जाएंगे। वित्त तथा सेवा की शर्तों

के संबंध में, श्री डोंगरे ने कहा:—

“खदान की सभी आवश्यकताएँ वहाँ के प्रबंधक द्वारा सीमेंट वर्क्स के कार्यालय को भेजी जाती हैं और यदि वे सीमेंट वर्क्स के भंडार में उपलब्ध होती हैं, तो वहीं से निर्गत कर दी जाती हैं; अन्यथा मैं उन्हें बॉम्बे कार्यालय से मंगवाता हूँ अथवा स्थानीय स्तर पर क्रय करता हूँ। खदानों में कोई पृथक लेखा कार्यालय नहीं है और उनका लेखा सीमेंट वर्क्स के कार्यालय में ही रखा जाता है। मैं, चाईबासा सीमेंट वर्क्स का प्रबंधक होने के नाते, उपर्युक्त आवश्यकताओं के भुगतान की व्यवस्था करता हूँ। खदान का कोई पृथक बैंक खाता नहीं है। खदान प्रबंधक को मुझसे पृथक कोई बैंक खाता संचालित करने का अधिकार नहीं है। खदानों में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक तथा मासिक वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। खदानों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को भुगतान सीमेंट वर्क्स के कैशियर अथवा उसके सहायक द्वारा, आवश्यकता पड़ने पर, किया जाता है। खदानों के मासिक वेतनभोगी कर्मचारी भुगतान प्राप्त करने के लिए सीमेंट कार्यालय में आते हैं। सीमेंट वर्क्स में प्रत्येक दिन विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिकों के आवंटन की एक प्रणाली है। यह कार्य विभागाध्यक्षों द्वारा किया जाता है। यही प्रणाली खदानों में भी प्रचलित है। खदान प्रबंधक, उस विभाग के प्रमुख के रूप में, श्रमिकों का वितरण करता है। उपस्थिति रजिस्टर खदान में उसी प्रकार रखा जाता है, जैसा कि सीमेंट वर्क्स के विभिन्न विभागों में रखा जाता है। सभी मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, चाहे वे कारखाने में हों या खदानों में, एक ही सामान्य वेतन पर्ची होती है। दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए, हमारे पास विभागवार पृथक पर्चियाँ होती हैं और खदान के दैनिक श्रमिकों के लिए भी एक पृथक पर्ची होती है। भुगतान का एक समेकित सार-सूची होती है, जिसमें सभी विभागों के भुगतान, खदानों के भुगतान सहित, दर्शाए जाते हैं। मुझे खदानों के संबंध में कार्यस्थलों तथा अन्य दुर्घटनाओं के विषय में खान अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को वैधानिक सूचना प्रेषित करनी होती है। खदानों में कार्यरत कर्मचारी एवं श्रमिक कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार सीमेंट वर्क्स में स्थानांतरित किए जा सकते हैं और इसके विपरीत भी। ऐसे स्थानांतरण के कुछ उदाहरण हुए हैं। सेवा की शर्तें, जैसे आकस्मिक अवकाश, भविष्य निधि, उपदान (ग्रेच्युटी) आदि, सीमेंट वर्क्स के श्रमिकों के लिए जो हैं, वही खदानों के श्रमिकों पर भी लागू होती हैं। हमें अधिनियम के वैधानिक उपबंध तथा नियम हमारे खदान विभाग पर भी लागू किए गए हैं। खदान के कार्य का प्रतिवेदन समय-समय पर वहाँ के प्रबंधक द्वारा मुझे भेजा जाता है। चाईबासा सीमेंट वर्क्स का प्रबंधक होने के नाते, मैं खदानों से निकाले गए चूना पत्थर के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान करता हूँ। क्षतिपूर्ति, मातृत्व लाभ, दुर्घटनाओं आदि के भुगतान भी खदानों में मेरे प्राधिकार के अंतर्गत, कारखाना कार्यालय द्वारा किए जाते हैं, न कि खदान प्रबंधक द्वारा।”

प्रबंधन की ओर से दाखिल प्रदर्श 1 से 26, जो खदान और कारखाने के कार्य-प्रणाली को दर्शाते हैं, उपर्युक्त श्री डोंगरे के साक्ष्य का समर्थन करते हैं; उन्होंने, जैसा कि स्वयं अधिकरण ने अवलोकित किया है, यह प्रदर्शित किया कि प्रबंधन खदान के संबंध में उसी प्रकार स्थल पर एक ही लेखा बनाए रखता था, जैसा कि कारखाने के अन्य विभागों के संबंध में, और अंतिम प्राधिकारी श्री डोंगरे, प्रबंधक, ही थे। अन्य दस्तावेज भी थे, जिनसे यह प्रदर्शित होता है कि कर्मचारियों का खदान से कारखाने में और इसके विपरीत स्थानांतरण सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार श्री डोंगरे द्वारा किया जाता था। यह उल्लेखनीय है कि यूनियन ने चूना पत्थर खदान में प्रस्तावित हड़ताल के संबंध में सूचना कारखाने के प्रबंधक को ही दी थी। चूना पत्थर खदान की भौगोलिक निकटता कभी विवादित नहीं रही। वह कारखाने के निकट ही स्थित थी, लगभग एक मील के दायरे में। उद्देश्य की सामान्य एकता तथा कार्यात्मक एकात्मता के संबंध में भी कोई गंभीर विवाद नहीं था। श्री डोंगरे ने कहा कि चूना पत्थर, सीमेंट निर्माण के लिए प्रमुख कच्चा माल है और झींकपानी स्थित सीमेंट कारखाना राजंका की खदान से चूना पत्थर की आपूर्ति पर पूर्णतः निर्भर था। उनके साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हुआ कि कुछ अतिरिक्त चूना पत्थर खेलेरी स्थित कारखाने को भी भेजा जाता था। इस बिंदु पर श्री डोंगरे ने कहा:—

“इस खदान से चूना पत्थर कभी-कभी खेलेरी सीमेंट वर्क्स को भी भेजा जाता है, किन्तु वह मात्रा बहुत कम होती है और केवल आपात स्थिति में ही ऐसा किया जाता है।”

श्री डोंगरे ने यह भी स्पष्ट किया कि हड़ताल से पूर्व खदान में विभागीय श्रमिकों की सामान्य संख्या लगभग 250 थी; किन्तु ठेकेदारों द्वारा लगभग 1000 श्रमिक नियोजित थे। दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की संख्या लगभग 950 थी और मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 100 से 105 के बीच थी। खदान के श्रमिकों को दिया गया वेतन सीमेंट वर्क्स के चूना पत्थर खाते में डेबिट किया जाता था और लागत निर्धारण के संदर्भ में, चूना पत्थर पर व्यय की गई राशि भी उसी खाते में दर्ज की जाती थी। तथापि, बैंक खाते कंपनी के नाम पर थे और उन खातों का संचालन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति श्री डोंगरे (प्रबंधक), मुख्य अभियंता तथा सीमेंट वर्क्स के मुख्य रसायनज्ञ थे।

उपर्युक्त समस्त साक्ष्य, मौखिक एवं दस्तावेजी, को अधिकरण द्वारा स्पष्टतः सही स्वीकार किया गया था; क्योंकि माननीय अध्यक्ष ने श्री डोंगरे के साक्ष्य का संक्षेपण बिना किसी गंभीर प्रतिकूल टिप्पणी के किया। तत्पश्चात् उन्होंने यूनियन द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रतिपादनों का उल्लेख किया, जिन्हें उन्होंने निराधार नहीं माना। अब हम उन प्रतिपादनों का उल्लेख करते हैं। पहला प्रतिपादन यह था कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन, झींकपानी स्थित कारखाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी बिहार राज्य सरकार थी, जबकि चूना पत्थर की

खदान, जो खान अधिनियम, 1952 में परिभाषित एक खान थी, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार थी। दूसरा प्रतिपादन यह था कि स्थायी आदेशों के दो पृथक सेट थे—एक कारखाने के श्रमिकों के लिए और दूसरा चूना पत्थर खदान के श्रमिकों के लिए। तीसरा प्रतिपादन यह था कि चूना पत्थर खदान का अपना पृथक कार्यालय तथा पृथक उपस्थिति पंजिका था, और चौथा प्रतिपादन यह था कि खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अधीन, श्री डोंगरे चूना पत्थर खदान के लिए अभिकर्ता थे तथा एक पृथक प्रबंधक भी था, जो उक्त अधिनियम की धारा 17 के उपबंधों के अधीन खान के नियंत्रण, प्रबंधन एवं संचालन के लिए उत्तरदायी था। माननीय अध्यक्ष ने श्री डोंगरे के साक्ष्य के संबंध में की गई कुछ आलोचनाओं का भी उल्लेख किया। एक आलोचना यह थी कि यद्यपि कंपनी कारखाने और चूना पत्थर खदान दोनों की स्वामी थी, तथापि उसके भारत और पाकिस्तान के अन्य स्थानों पर भी कारखाने और चूना पत्थर की खदानें थीं, और यदि केवल स्वामित्व की एकता को ही निर्णायक परीक्षण माना जाए, तो कंपनी के सभी कारखाने और चूना पत्थर की खदानें, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, एक ही स्थापना मानी जाएँगी। तथापि, यह आलोचना प्रासंगिक नहीं थी, क्योंकि कंपनी ने कभी यह दावा नहीं किया कि भारत और पाकिस्तान के विभिन्न भागों में स्थित उसके सभी कारखाने केवल स्वामित्व की एकता के कारण एक ही स्थापना का निर्माण करते हैं। दूसरी आलोचना यह थी कि श्री डोंगरे ने यह स्वीकार किया कि यदि सेवा के हित में आवश्यक हो, तो चाईबासा सीमेंट वर्क्स के श्रमिकों को कंपनी के किसी अन्य कारखाने में स्थानांतरित किया जा सकता है और इस प्रकार स्थानांतरणीयता एक सुनिश्चित परीक्षण नहीं है। यह आलोचना भी प्रासंगिक नहीं थी, क्योंकि कंपनी ने कभी यह दावा नहीं किया कि स्थानांतरणीयता ही एकमात्र निश्चित परीक्षण है। श्रमिकों की ओर से एक तीसरी आलोचना यह भी की गई कि श्री डोंगरे ने यह स्वीकार किया कि कंपनी के विभिन्न कारखानों और चूना पत्थर की खदानों के समस्त लेखे अंततः एक ही लाभ-हानि खाते में समेकित कर दिए जाते थे, जो हमारी दृष्टि में विचाराधीन प्रश्न के लिए समान रूप से अप्रासंगिक आलोचना थी। इसके पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित शब्दों में अपना अंतिम निष्कर्ष व्यक्त किया:—

“इन तथा श्री डोंगरे द्वारा किए गए अन्य कथनों से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि सुविधा एवं अर्थव्यवस्था के लिए उन्हें दोनों संस्थानों के नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया था, तथापि उनकी हैसियत द्वैध थी। जबकि वे वर्क्स मैनेजर के रूप में सीमेंट वर्क्स का नियंत्रण कर रहे थे, उसी समय वे खान अधिनियम के अधीन अभिकर्ता के रूप में खदानों का नियंत्रण कर रहे थे। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि

इन दोनों संस्थानों, जो अपने स्वभाव से ही भिन्न हैं, को एक ही और समान माना जाए, तो खदानों में कर्मचारियों से संबंधित अनुशासनहीनता अथवा अन्य ऐसे मामलों में, जहाँ सीमेंट वर्क्स में विवाद की संभावना हो और इसके विपरीत, असंगत स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्पष्टतः, सीमेंट वर्क्स के कर्मचारियों का निपटारा राज्य अधिकरण द्वारा किया जाना होगा, जबकि खदानों के कर्मचारियों का निपटारा केन्द्रीय अधिकरण द्वारा किया जाएगा। यह स्थिति प्रबंधन के उस प्रतिपादन की शक्ति को भी समाप्त कर देती है कि दोनों एक ही स्थापना के भाग हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि प्रबंधन का प्रतिपादन असफल होता है और यूनियन का प्रतिपादन प्रबल होता है।”

अब हम उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत उस प्रतिपादन पर लौटते हैं कि इस अपील का निस्तारण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि औद्योगिक अधिकरण का अंतिम निष्कर्ष एक तथ्यात्मक निष्कर्ष है। अधिकरण के निर्णय से स्वयं यह स्पष्ट होता है कि अंतिम निष्कर्ष तर्क-वितर्क की एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया गया, जिसमें अधिनियम के अनेक उपबंधों तथा खान अधिनियम, 1952 के कुछ उपबंधों पर विचार किया गया। अधिकरण ने श्री डोंगरे के साक्ष्य के अधिकांश भाग, यदि संपूर्ण नहीं तो, को स्वीकार किया; तथापि, उस साक्ष्य के बावजूद, उसने अपीलकर्ता के विरुद्ध निर्णय देने के लिए स्वयं को बाध्य अनुभव किया, इस कारण कि उसके विचार में यदि कारखाने और खदान को एक ही स्थापना माना जाए तो एक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी। अधिकरण के समक्ष जो प्रश्न था, और जो अब हमारे समक्ष भी है, वह अधिनियम की धारा 25 ई के खंड (iii) के वास्तविक क्षेत्र और प्रभाव का प्रश्न था, विशेष रूप से उसमें प्रयुक्त अभिव्यक्ति “स्थापना के किसी अन्य भाग में” के संदर्भ में। वह प्रश्न मात्र तथ्य का प्रश्न नहीं था, क्योंकि उसमें उन परीक्षणों पर विचार सम्मिलित था, जिन्हें यह निर्धारित करने में लागू किया जाना चाहिए कि कोई विशिष्ट इकाई किसी बड़े स्थापना का भाग है या नहीं। निस्संदेह यह सत्य है कि इन परीक्षणों के अनुप्रयोग के लिए कुछ प्रारंभिक तथ्यों का निर्धारण आवश्यक होता है; किन्तु उनसे निकाला जाने वाला अंतिम निष्कर्ष मात्र तथ्य का प्रश्न नहीं है। अतः, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन करना उचित नहीं है कि हम विशेष अनुमति से दायर अपील में इस आधार पर कि तथ्यात्मक निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, इस अपील का संक्षिप्त निस्तारण कर दें। इस मामले में हम उस संक्षिप्त मार्ग को अपनाकर धारा 25 ई के खंड (iii) के वास्तविक क्षेत्र और प्रभाव का निर्धारण करने के अपने दायित्व से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते।

अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि “एक स्थापना” से क्या अभिप्रेत है, यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त परीक्षण क्या होने चाहिए। उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने यह सुझाव दिया है कि परीक्षण स्वयं विधायिका द्वारा अधिनियम की धारा 25 ए के

स्पष्टीकरण में निर्धारित किए गए हैं। उक्त स्पष्टीकरण इस प्रकार है:—

“इस धारा में तथा धाराओं 25 सी, 25 डी और 25 ई में, ‘औद्योगिक स्थापना’ से अभिप्रेत है—

(i) कारखाना, जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (एम) में परिभाषित है; या

(ii) खान, जैसा कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित है; या

(iii) बागान, जैसा कि बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 2 के खंड (फ) में परिभाषित है।”

यह तर्क कि यह स्पष्टीकरण अधिनियम की कुछ धाराओं, जिनमें धारा 25 ई भी सम्मिलित है, में “औद्योगिक स्थापना” का अर्थ स्पष्ट करता है, और इस प्रकार उचित व्याख्या करने पर यह इस विचार को नकार देता है कि एक कारखाना और एक खान मिलकर एक ही स्थापना के भाग हो सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि धारा 25 ई में “औद्योगिक स्थापना” शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। यह केवल “स्थापना” शब्द का ही प्रयोग करता है। तथापि, हम इस बात से सहमत हैं कि यदि धारा 25 ई को धारा 25 सी के साथ पढ़ा जाए और अधिनियम की धारा 2(केकेके) में “छंटनी” की परिभाषा को ध्यान में रखा जाए, तो धारा 25 ई में प्रयुक्त “स्थापना” शब्द का संदर्भ एक औद्योगिक स्थापना से है। इस आधार पर कि धारा 25 ई में “स्थापना” शब्द का अर्थ औद्योगिक स्थापना है, तब यह प्रश्न उठता है कि उक्त स्पष्टीकरण का प्रभाव क्या है? उत्तरदाता का प्रतिपादन यह है कि एक औद्योगिक स्थापना या तो कारखाना हो सकता है, जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (एम) में परिभाषित है, या खान हो सकता है, जैसा कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित है, अथवा बागान हो सकता है, जैसा कि बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 2 के खंड (फ) में परिभाषित है; किन्तु यह इन श्रेणियों में से किसी दो का संयोजन नहीं हो सकता और अतः, जैसा कि वर्तमान मामले में है, एक कारखाना और एक खान मिलकर एक ही स्थापना का निर्माण नहीं कर सकते। यह तर्क इस अनुमान पर आधारित है कि स्पष्टीकरण, यद्यपि यह बताता है कि कौन-कौन से उपक्रम या उद्यम “औद्योगिक स्थापना” की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, अनिवार्य रूप से “एक स्थापना” के परीक्षण को भी निर्धारित करता है। हम इस अनुमान के लिए कोई आधार नहीं पाते। स्पष्टीकरण केवल अधिनियम की कुछ धाराओं के लिए “औद्योगिक स्थापना” की अभिव्यक्ति का अर्थ बताता है; यह इस बात के लिए कोई परीक्षण निर्धारित नहीं करता कि “एक स्थापना” क्या होता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे कारखाने को लें जिसमें विभिन्न

विभाग हैं, जहाँ विनिर्माण प्रक्रियाएँ विद्युत शक्ति की सहायता से संचालित की जाती हैं। प्रत्येक विभाग, यदि उसमें दस या अधिक श्रमिक नियोजित हों, तो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (एम) के अर्थ में एक कारखाना होगा; इसी प्रकार वह संपूर्ण कारखाना, जहाँ 1000 श्रमिक नियोजित हो सकते हैं, भी कारखाना होगा। स्पष्टीकरण केवल यह कहता है कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (एम) में परिभाषित प्रकृति का कोई उपक्रम एक औद्योगिक स्थापना है। इसका उस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है कि दिए गए उदाहरण में संपूर्ण कारखाने को या उसके प्रत्येक विभाग को एक स्थापना के रूप में माना जाए या नहीं। उस प्रश्न का निर्धारण अन्य विचारों के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि स्पष्टीकरण “एक स्थापना” के प्रश्न से संबंधित नहीं है। हमारे मत में, उक्त स्पष्टीकरण का वास्तविक क्षेत्र और प्रभाव यह है कि वह स्पष्ट करता है कि कौन-कौन सी श्रेणियाँ—कारखाना, खान या बागान—“औद्योगिक स्थापना” अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती हैं; यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है कि कौन-सी इकाई एक स्थापना का निर्माण करती है और न ही उस प्रश्न के निर्धारण हेतु कोई परीक्षण निर्धारित करता है। अतः हम उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि एक कारखाना और एक खान, या ऐसी खान जो कारखाने को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, अधिनियम के अंतर्गत कभी एक ही स्थापना नहीं हो सकते, यद्यपि हम यह नहीं मानते कि यह धारा 25 ए के स्पष्टीकरण का प्रभाव है।

अधिनियम में “एक स्थापना” क्या है, यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट परीक्षण निर्धारित नहीं किए गए हैं, अतः हमें सामान्य औद्योगिक अथवा व्यावसायिक समझ के आधार पर विचार करना होगा कि किसी औद्योगिक स्थापना की एकता किस प्रकार निर्धारित की जाए, और इस संबंध में अधिनियम की योजना एवं उद्देश्य तथा खान अधिनियम, 1952 अथवा कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्य प्रासंगिक उपबंधों को ध्यान में रखना होगा। सामान्य औद्योगिक या व्यावसायिक दृष्टि से “एक स्थापना” क्या है? जब कोई औद्योगिक स्थापना अनेक भागों, इकाइयों, विभागों या शाखाओं से मिलकर बना हो, तब एकता या पृथक्ता का प्रश्न जटिल हो जाता है। यदि यह पूर्णतः एकात्मक हो, अर्थात् एक ही स्थान तथा एक ही इकाई का हो, तो इसे एक ही स्थापना कहना सरल होता है। किन्तु जहाँ औद्योगिक उपक्रम के अनेक भाग, शाखाएँ, विभाग अथवा इकाइयाँ भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित हों—चाहे वे निकट हों या दूर—तब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि किन परीक्षणों को अपनाकर यह निर्धारित किया जाए कि क्या वे एक ही स्थापना का निर्माण करते हैं। इस संदर्भ में बहस के दौरान अनेक परीक्षणों का उल्लेख किया गया, जैसे—भौगोलिक निकटता, स्वामित्व की एकता, प्रबंधन एवं नियंत्रण की एकता, रोजगार एवं सेवा की शर्तों की एकता, कार्यात्मक एकात्मता, तथा उद्देश्य की सामान्य एकता आदि। इनमें से अधिकांश का उल्लेख हम पहले ही श्री डोंगरे के साक्ष्य तथा अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों का संक्षेप करते समय कर चुके हैं। वस्तुतः, यह संभव नहीं है कि सभी मामलों के लिए किसी एक परीक्षण

को पूर्ण एवं अपरिवर्तनीय परीक्षण के रूप में निर्धारित किया जा सके। इन परीक्षणों का वास्तविक उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि विभिन्न भागों, शाखाओं या इकाइयों के बीच वास्तविक संबंध क्या है। यदि उनके वास्तविक संबंध में वे एक समेकित समग्र का निर्माण करते हैं, तो हम यह कहते हैं कि वह स्थापना एक है; यदि इसके विपरीत वे एक समेकित समग्र का निर्माण नहीं करते, तो प्रत्येक इकाई एक पृथक इकाई मानी जाएगी। इकाइयों के बीच संबंध का आकलन किस प्रकार किया जाए, यह उन तथ्यों पर निर्भर करेगा, जिनका परीक्षण उस विधि की योजना एवं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जो बेरोजगारी क्षतिपूर्ति का अधिकार प्रदान करती है और उसके लिए अयोग्यता भी निर्धारित करती है। इस प्रकार, किसी एक मामले में स्वामित्व, प्रबंधन तथा नियंत्रण की एकता महत्वपूर्ण परीक्षण हो सकता है; किसी अन्य मामले में कार्यात्मक एकात्मता या उद्देश्य की सामान्य एकता महत्वपूर्ण परीक्षण हो सकती है; और किसी अन्य मामले में रोजगार की एकता महत्वपूर्ण परीक्षण हो सकती है। वास्तव में, अनेक मामलों में कई परीक्षण एक साथ विचारणीय हो सकते हैं। इन परीक्षणों को लागू करने में कठिनाई आधुनिक औद्योगिक संगठन की जटिलता के कारण उत्पन्न होती है; अनेक उपक्रम ऐसे हो सकते हैं जिनमें उन कारखानों के बीच कार्यात्मक एकात्मता हो जो पृथक स्वामित्व में हों; कुछ उपक्रम ऐसे हो सकते हैं जो आंशिक रूप से उन इकाइयों या कारखानों के साथ एकीकृत हों जिनका स्वामित्व समान हो और आंशिक रूप से उन कारखानों या संयंत्रों के साथ एकीकृत हों जो स्वतंत्र स्वामित्व में हों। इन सभी जटिलताओं के बीच वास्तविक एकता का सूत्र खोज पाना कठिन हो सकता है। एक अमेरिकी निर्णय (*डोनाल्ड एल. नॉर्डलिंग बनाम फोर्ड मोटर कंपनी* (1)) में एक ऐसे औद्योगिक उत्पादक का उदाहरण दिया गया है, जिसमें 4000 पुर्जों में से 3800 का निर्माण होता था, जिनमें से लगभग 900 एक ही संयंत्र से आते थे; कुछ अन्य उसी कंपनी के अन्य संयंत्रों से आते थे और कुछ अन्य स्वतंत्र स्वामित्व वाले संयंत्रों से आते थे, और किसी एक संयंत्र में हड़ताल अथवा अन्य श्रम विवाद के कारण मुख्य संयंत्र या कारखाने के बंद होने की संभावना उत्पन्न हो सकती थी। 2 डी

सौभाग्य से, हमारे समक्ष विचाराधीन मामले में ऐसी जटिलताएँ उपस्थित नहीं हैं। हम यह नहीं कहते कि औद्योगिक व्यवहार में सामान्यतः ऐसा होता है कि एक स्थापना कारखाने और खान से मिलकर बना हो; किन्तु हमें इस मामले के विशेष तथ्यों को ध्यान में रखना होगा, जहाँ समीपवर्ती चूना पत्थर की खदान लगभग पूर्णतः कच्चे माल की आपूर्ति कारखाने को करती है; खदान वास्तव में कारखाने की पूरक है और खदान से चूना पत्थर के बिना कारखाना कार्य नहीं कर सकता। हमारा यह ऐसा मामला है जिसमें सभी परीक्षण पूर्णतः संतुष्ट होते हैं, जैसा कि अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से, जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, स्पष्ट होता है। स्वामित्व की एकता, प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की

1 (1950) 28 ए.एल.आर., 2 डी. 272.

एकता, वित्त एवं रोजगार की एकता, श्रम तथा सेवा की शर्तों की एकता, कार्यात्मक एकात्मता, उद्देश्य की सामान्य एकता तथा भौगोलिक निकटता विद्यमान है। अब हम उन विधिक कठिनाइयों पर विचार करेंगे जिनकी ओर अधिकरण ने संकेत किया है और जिनका उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने भी विस्तार से प्रतिपादन किया है। किन्तु उनसे पृथक, वाद में सिद्ध तथ्यों से एकमात्र निष्कर्ष यह है कि चाईबासा सीमेंट वर्क्स, जिसमें कारखाना और चूना पत्थर की खदान सम्मिलित हैं, एक ही स्थापना का निर्माण करते हैं। स्थायी आदेशों के दो सेटों का अस्तित्व तथा चूना पत्थर खदान के लिए पृथक उपस्थिति पंजिका का होना, जिनका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, श्री डोंगरे द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है, विशेषतः स्थायी आदेशों के दो सेटों के अस्तित्व का कारण यह है कि विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा उनकी स्वीकृति की वैधानिक अपेक्षा थी—एक बिहार के श्रम आयुक्त द्वारा और दूसरा संबंधित केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा।

अब हम उन विधिक कठिनाइयों पर विचार करते हैं, जो उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, चूना पत्थर की खदान और कारखाने को एक ही स्थापना के रूप में मानने के मार्ग में उपस्थित हैं। अधिकरण ने इन कठिनाइयों की ओर केवल संकेत किया है, यह कहते हुए कि यदि खदान और कारखाने को एक ही स्थापना माना जाए तो एक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी। इस संदर्भ में, अधिनियम के अध्याय V-A के प्रासंगिक उपबंधों द्वारा परिकल्पित छंटनी क्षतिपूर्ति तथा उससे संबंधित अयोग्यताओं की योजना एवं उद्देश्य का संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है। उक्त अध्याय को औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 43) द्वारा सम्मिलित किया गया था, जो 24 अक्टूबर, 1953 से प्रभावी हुआ। श्रमिकों को छंटनी क्षतिपूर्ति का अधिकार स्पष्टतः उस कठिनाई को कम करने के लिए विनिर्मित किया गया है, जो कर्मचारी के किसी दोष के बिना उत्पन्न बेरोजगारी के कारण होती है; अनैच्छिक बेरोजगारी व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में सामान्य आर्थिक असुरक्षा भी उत्पन्न कर सकती है। अतः यह अधिकार मानवीय सार्वजनिक नीति के आधार पर निहित है और जो अधिनियम ऐसा अधिकार प्रदान करता है, उसकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए, और जब अयोग्यकारी उपबंधों हों, बाद के उपबंधों की व्याख्या उनमें प्रयुक्त शब्दों के संदर्भ में कठोरतापूर्वक की जानी चाहिए। अब, धारा 25 सी अधिकार प्रदान करती है और धारा 25 ई में तीन अयोग्यकारी उपबंध हैं। वे यह प्रदर्शित करते हैं कि बेरोजगारी क्षतिपूर्ति के अधिकार का आधार यह है कि बेरोजगारी अनैच्छिक हो; अन्य शब्दों में, वह कर्मचारी की अपनी कोई त्रुटि के कारण न हो, अर्थात् जब उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार प्रस्तावित किया जाए और श्रमिक उसे धारा 25 ई के खंड (i) के अधीन स्वीकार करने से इंकार कर दे, या श्रमिक धारा 25 ई के खंड (ii) के अधीन स्थापना में कार्य हेतु उपस्थित न हो, अथवा जब छंटनी स्थापना के किसी अन्य भाग के श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल या उत्पादन में मंदी के कारण हो, जैसा कि धारा 25 ई के खंड (iii) में है, तब बेरोजगारी क्षतिपूर्ति देय नहीं होती। स्पष्टतः, अंतिम खंड एक ही स्थापना के श्रमिकों को एक वर्ग के

रूप में मानता है और यदि किसी भाग में कुछ श्रमिकों द्वारा हड़ताल या उत्पादन में मंदा होती है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य श्रमिकों की छंटनी होती है, तो वे श्रमिक बेरोजगारी क्षतिपूर्ति का दावा करने के अयोग्य हो जाते हैं, क्योंकि उस स्थिति में बेरोजगारी वास्तव में अनैच्छिक नहीं मानी जाती।

अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों की इस योजना और उद्देश्य की पृष्ठभूमि में, अब हमें उन विधिक कठिनाइयों पर विचार करना है, जिनका उत्तरदाता द्वारा प्रतिपादन किया गया है। पहली कठिनाई खान अधिनियम, 1952 की धारा 17 से उत्पन्न होने की कही गई है। उक्त धारा का सार यह है कि प्रत्येक खान एक ऐसे प्रबंधक के अधीन होगी, जिसके पास निर्धारित योग्यता होगी और जो खान के नियंत्रण, प्रबंधन तथा संचालन के लिए उत्तरदायी होगा; यह भी इंगित किया गया है कि खान के संबंध में "अभिकर्ता" शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से है, जो खान के प्रबंधन के संबंध में स्वामी का प्रतिनिधि होता है और जो प्रबंधक से उच्च स्थिति में होता है। तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि राजंका की चूना पत्थर खदान के लिए खान अधिनियम, 1952 के अधीन एक प्रबंधक था और श्री डोंगरे अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, अर्थात् वे स्वामी—अर्थात् कंपनी—के प्रतिनिधि थे; और यह व्यवस्था, जो खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुरूप थी, कारखाने और खदान को दो पृथक स्थापना बना देती है। हम इस तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं। हम यह नहीं मानते कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 17 का इस प्रश्न से कोई संबंध है कि क्या चूना पत्थर की खदान किसी बड़े स्थापना का भाग थी। यह खान अधिनियम, 1952 के प्रयोजनों के लिए एक प्रबंधक की नियुक्ति का प्रावधान करता है और "एक स्थापना" के प्रश्न से, जो धारा 25 ई के खंड (iii) के अर्थ में है, संबंधित नहीं है। यह तथ्य कि खदान प्रबंधक श्री डोंगरे के समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता था, इस वाद में सिद्ध तथ्यों के आधार पर, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपादित कथन के विपरीत यह दर्शाता है कि कारखाना और खदान को एक ही स्थापना के रूप में माना जाता था।

दूसरी कठिनाई अधिनियम के उन कुछ उपबंधों से उत्पन्न होने की कही गई है, जो सुलह बोर्डों, जांच न्यायालयों, श्रम न्यायालयों तथा अधिकरणों के गठन और औद्योगिक विवादों को इन संस्थाओं के समक्ष निपटान, जांच या निर्णय के लिए संदर्भित करने से संबंधित हैं। अधिनियम की योजना यह है कि, राष्ट्रीय अधिकरणों के मामलों को छोड़कर, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है, उपयुक्त सरकार सुलह बोर्डों, जांच न्यायालयों, श्रम न्यायालयों और अधिकरणों की नियुक्ति करती है और वही उपयुक्त सरकार अधिनियम की धारा 10 के अधीन संदर्भ भी करती है। अब, "उपयुक्त सरकार" की अभिव्यक्ति की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) में दी गई है। जहाँ तक हमारे प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है, इसका अर्थ है—राजंका की चूना पत्थर खदान के संबंध में केन्द्रीय सरकार तथा झींकपानी स्थित इस कारखाने के संबंध में बिहार राज्य सरकार। हम इस निर्णय में

पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि इस प्रकरण में प्रबंधन और चूना पत्थर खदान के श्रमिकों के बीच मूल विवाद को धनबाद स्थित केन्द्रीय अधिकरण के समक्ष संदर्भित किया गया था, जबकि कारखाने के श्रमिकों को छंटनी क्षतिपूर्ति के संबंध में उत्पन्न विवाद को बिहार सरकार द्वारा पटना स्थित औद्योगिक अधिकरण को संदर्भित किया गया था। हमारे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जब विधि स्वयं कारखाने और खान को भिन्न-भिन्न प्राधिकारों के अधीन पृथक इकाइयों के रूप में मान्यता देती है, तब उन्हें एक ही अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक ही स्थापना के रूप में नहीं माना जा सकता। अधिनियम की धारा 18(3) की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसके अधीन कुछ परिस्थितियों में अधिनियम के अंतर्गत सुलह कार्यवाही के दौरान हुआ कोई समझौता अथवा श्रम न्यायालय या अधिकरण का अधिनिर्णय "उन सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी बनाया जाता है, जो उस स्थापना या उसके किसी भाग में, जैसा भी मामला हो, जिस से विवाद संबंधित है, विवाद की तिथि को नियोजित थे तथा उन सभी व्यक्तियों पर भी, जो तत्पश्चात् उस स्थापना या उसके किसी भाग में नियोजित होते हैं।" यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि कारखाना और चूना पत्थर की खदान को एक ही स्थापना माना जाए, तो धारा 18(3) को लागू करना कठिन होगा। अंत में, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 33 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उक्त धारा की उपधारा (1) मूलतः यह उपबंध करती है कि अधिनियम के अधीन किसी सुलह कार्यवाही या किसी श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, कोई नियोक्ता किसी श्रमिक के सेवा-शर्तों में उसके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं करेगा और न ही उस प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, किसी श्रमिक को दंडित करेगा। उपधाराओं (2) और (3) का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस अपील के प्रयोजनों के लिए तर्क एक ही है, अर्थात् यदि केन्द्रीय अधिकरण के समक्ष, उदाहरणार्थ चूना पत्थर की खदान के संबंध में, कोई कार्यवाही लंबित है, तो उन कारखाने के श्रमिकों पर, जिन पर केन्द्रीय अधिकरण का अधिकार-क्षेत्र नहीं है, धारा 33 के उपबंधों को लागू करना कठिन होगा। औद्योगिक अधिकरण ने इन उपबंधों का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, किन्तु संभवतः उसके मन में यही बात थी जब उसने कहा कि यदि कारखाने और खदान को एक ही स्थापना माना जाए तो एक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी।

हमने इन तर्कों पर अत्यंत गंभीरता से विचार किया है, किन्तु हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि वे प्रबल हैं। यह सत्य है कि सुलह बोर्डों, जांच न्यायालयों, श्रम न्यायालयों तथा अधिकरणों के गठन के विषय में तथा औद्योगिक विवादों को उनके समक्ष संदर्भित करने के विषय में, और संभवतः कुछ अन्य सीमित प्रयोजनों के लिए भी, अधिनियम दो भिन्न प्राधिकारों को अधिकार-क्षेत्र प्रदान करता है—चूना पत्थर की खदान के संबंध में केन्द्रीय सरकार को तथा कारखाने के संबंध में राज्य सरकार को—। संक्षिप्त प्रश्न यह है—क्या अधिकार-क्षेत्र की यह द्वैधता, जिसे द्विभाजन भी कहा जा सकता है, अनिवार्य रूप से यह

अभिप्रेत करती है कि अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए, और विशेषतः अध्याय V-A के उपबंधों के अनुसार बेरोजगारी क्षतिपूर्ति के भुगतान के संदर्भ में, कारखाने और खदान को पृथक प्रतिष्ठानों के रूप में ही माना जाए। हम ऐसी किसी अनिवार्य परिणति को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो यह कहता हो कि दो अधिकार-क्षेत्रों के अस्तित्व से वह परिणाम उत्पन्न होता है, जिसका प्रतिपादन उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है; और न ही हम उन उपबंधों में, जो इन दो अधिकार-क्षेत्रों का सृजन करते हैं, अथवा उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के कारण या उनके स्वभाव के कारण, ऐसा कोई निहितार्थ पाते हैं कि दो अधिकार-क्षेत्रों का अस्तित्व दो पृथक प्रतिष्ठानों के अस्तित्व का द्योतक है। इसके विपरीत, ऐसा निहितार्थ या निष्कर्ष बेरोजगारी क्षतिपूर्ति से संबंधित अध्याय V-A के उपबंधों द्वारा परिकल्पित योजना और उद्देश्य के विपरीत होगा। हम पहले ही यह इंगित कर चुके हैं कि बेरोजगारी क्षतिपूर्ति का उद्देश्य अनैच्छिक बेरोजगारी से उत्पन्न कठिनाई को कम करना है, अर्थात् ऐसी बेरोजगारी जो कर्मचारियों की किसी त्रुटि के कारण न हो। यदि सामान्य औद्योगिक या व्यावसायिक दृष्टि से स्थापना एक है, तो उसी स्थापना में कुछ श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप अन्य श्रमिकों की छंटनी को अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं कहा जा सकता। यह कहना कि केवल दो अधिकार-क्षेत्रों के अस्तित्व के कारण ऐसे स्थापना को दो पृथक भागों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए, एक कृत्रिम निष्कर्ष को ग्रहण करना होगा, जिसके लिए हमें अधिनियम के उपबंधों में कोई औचित्य नहीं मिलता। स्थापना

हम यह भी नहीं मानते कि धारा 18(3) तथा धारा 33 कोई वास्तविक कठिनाई प्रस्तुत करती हैं। धारा 18(3) स्पष्टतः इस बात का उपबंध करती है कि कोई समझौता अथवा अधिनिर्णय, जो बाध्यकारी हो, *स्थापना के किसी भाग पर* भी बाध्यकारी हो सकता है। वह इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहती है। यदि, अतः, हमारे समक्ष मामले में चूना पत्थर की खदान के संबंध में कोई समझौता अथवा अधिनिर्णय है, तो वह उक्त उपधारा में उल्लिखित परिस्थितियों में उस स्थापना के उस भाग के श्रमिकों पर बाध्यकारी होगा, जो चूना पत्थर की खदान है। इसी प्रकार, कारखाने के संबंध में कोई समझौता अथवा अधिनिर्णय कारखाने के श्रमिकों पर बाध्यकारी होगा। धारा 33, जहाँ तक वह वर्तमान तर्क से संबंधित है, दो भागों में विभाजित है। उपधारा (1) उस विषय से संबंधित है जो उस विवाद से संबद्ध है जिसके संबंध में कोई कार्यवाही लंबित है। उपधारा (2) उस विषय से संबंधित है जो उस विवाद से संबद्ध नहीं है जिसके संबंध में कार्यवाही लंबित है। एक स्थिति में, दंडित करने आदि के लिए उस प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती है जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है; दूसरी स्थिति में, नियोक्ता द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अनुमोदन के लिए आवेदन करना होता है। हमारे समक्ष जैसे प्रकरण में धारा 33 को लागू करने में हमें कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती। खदान के श्रमिकों के संबंध में प्राधिकारी वह होगा जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है; कारखाने के लिए प्राधिकारी वह होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार

द्वारा की गई है। यह वही तर्क है, किंतु भिन्न रूप में, जो दो अधिकार-क्षेत्रों के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। मूल धारणा यह है कि एक ही स्थापना के दो भागों के लिए दो अधिकार-क्षेत्र नहीं हो सकते। यह तर्क तभी मान्य है जब यह धारणा सही हो। यदि, तथापि, इस धारणा के लिए कोई आधार नहीं है, जैसा कि हमने पाया है कि ऐसा कोई आधार नहीं है, तो इस तर्क का कोई आधार नहीं रह जाता।

अब तक हमने इस मामले पर, प्रतिवेदित निर्णयों से स्वतंत्र रूप से, विचार किया है, क्योंकि ऐसा कोई निर्णय उपलब्ध नहीं है जो वास्तव में हमारे समक्ष विवादित प्रश्न को आवृत करता हो। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमें *होयल बनाम क्रैम* (1) तथा *कोल्स बनाम डिकिन्सन* (2) में दिए गए निर्णयों की ओर भी संदर्भित किया। प्रथम मामले में प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ताओं को बाल श्रम अधिनियम, 23 एवं 24 विक्टोरिया, अध्याय 78 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बालक को बिना किसी विद्यालय-प्रमाणपत्र के नियोजित किया था। यह धारित किया गया कि वह बालक जिस स्थान पर कार्यरत था, जहाँ विरंजन, रंगाई तथा फिनिशिंग की प्रक्रियाएँ की जाती थीं, वह उक्त अधिनियम की धाराओं 8 और 9 के अर्थ में एक कारखाना था, और यह कि जहाँ उसे नियोजित किया गया था, वह स्थान “वह स्थापना जहाँ मुद्रण की मुख्य प्रक्रिया संपादित की जाती है” का भाग था, जैसा कि उस अधिनियम के अर्थ में अभिप्रेत है। निर्णय मुख्यतः अधिनियम के शब्दों पर आधारित था; तथापि, अर्ल, मुख्य न्यायाधीश ने कहा:

“ऐसा प्रतीत होता है कि मेफील्ड स्थित कार्य, कुछ वर्ष पूर्व, व्यवसाय की वृद्धि तथा मेडलक नदी के जल की गुणवत्ता में गिरावट और अपर्याप्तता के कारण अपर्याप्त हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं ने अपने कार्यों का एक भाग सैंडी वेले में स्थानांतरित कर दिया: किन्तु कार्य का प्रमुख भाग मेफील्ड में ही चलता रहा, जो फर्म का मुख्यालय था। अतः वाणिज्यिक दृष्टि से सैंडी वेले स्पष्टतः एक ही संपूर्ण स्थापना का भाग था। उत्तरदाता की ओर से यह प्रतिपादित किया गया कि अधिनियम का अभिप्राय वाणिज्यिक दृष्टि से किसी भाग का निर्माण करना नहीं था, बल्कि सामान्य और स्थानीय अर्थ में था। किन्तु अर्थ को केवल स्थानीय निकटता तक सीमित करने का कोई कारण नहीं है। संपूर्णतः वह एक ही स्थापना का निर्माण करता है।”

द्वितीय मामले में प्रश्न यह था कि 7 एवं 8 विक्टोरिया, अध्याय 15 की धारा 73 के अधीन, क्या वे परिसर, जो केवल कागज के निर्माण के लिए प्रयुक्त होते हैं, कारखाना अधिनियमों के संचालन से अपवर्जित हैं; वहाँ दो मिल थीं, एक मैनचेस्टर में और दूसरी हर्टफोर्डशायर में।

1 (1862) 12 सी.बी. (एन.एस.) 125; 142 ई.आर. 1090.

2 (1864) 16 सी.बी. (एन.एस.) 604; 143 ई.आर. 1264.

मैनचेस्टर की मिल अर्ध-निर्मित पदार्थ तैयार करती थी, जिसे हर्टफोर्डशायर की मिल में कागज में परिवर्तित किया जाता था, और प्रश्न यह था कि क्या मैनचेस्टर की मिल कारखाना अधिनियमों के संचालन से मुक्त थी। इसका उत्तर सकारात्मक में दिया गया। यह कहा गया कि प्रत्येक प्रक्रिया कागज के निर्माण की प्रक्रिया का एक चरण थी और जिन विभिन्न स्थानों पर ये कार्य किए जाते थे, उनके बीच की दूरी, अधिनियम के शब्दों की दृष्टि से, सर्वथा अप्रासंगिक थी।

अंतिम निर्णय, जिसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, अमेरिकी निर्णय *डोनाल्ड एल. नॉर्डलिंग बनाम फोर्ड मोटर कंपनी* (1) है। यह निर्णय संभवतः उस सीमा तक प्रासंगिक है जहाँ यह बेरोजगारी क्षतिपूर्ति से संबंधित है। उस प्रकरण में अधिनियम में यह प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति "हड़ताल या अन्य श्रम विवाद के कारण, उस स्थापना में जहाँ वह नियोजित है या था, अपने रोजगार से वंचित होता है", तो वह अयोग्य होगा। वहाँ के दावेदार मिनेसोटा स्थित एक ऑटोमोबाइल असेम्बली संयंत्र में नियोजित थे, जिसे आंशिक रूप से बंद कर दिया गया था, क्योंकि मिशिगन में उसी निगम के स्वामित्व एवं संचालन वाले एक विनिर्माण संयंत्र में हड़ताल के कारण पुर्जों की कमी हो गई थी। मिनेसोटा के सर्वोच्च न्यायालय में, रोजगार और सुरक्षा प्रभाग के निदेशक के निर्णय की समीक्षा के लिए *उत्प्रेषण* याचिका दायर की गई थी, और न्यायालय ने उन परीक्षणों की समीक्षा की है जिन्हें आम तौर पर संबंधित कानून के अर्थ में 'स्थापना' शब्द का अर्थ निर्धारित करने के लिए लागू किया जाता है; यह इंगित किया गया कि इस प्रश्न पर निर्णयों में एकरूपता नहीं थी और कोई पूर्ण या अपरिवर्तनीय परीक्षण निर्धारित करना संभव नहीं था। निर्णय इस व्यापक आधार पर आधारित था कि अंतिम प्रश्न का निर्धारण करते समय—कि क्या किसी बड़े औद्योगिक उपक्रम का कोई कारखाना, संयंत्र या इकाई एक पृथक स्थापना है—कार्यात्मक एकात्मता, सामान्य एकता तथा भौतिक निकटता के परीक्षणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उस प्रकरण में जिस परीक्षण पर विशेष बल दिया गया, वह रोजगार की एकता का परीक्षण था, और उस आधार पर यह पाया गया कि निदेशक के इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध थे कि मिनेसोटा स्थित संयंत्र एक पृथक स्थापना था।

हम यह नहीं मानते कि ये निर्णय उन बातों से आगे जाते हैं, जिन्हें हम इस निर्णय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में स्पष्ट कर चुके हैं। हमें उस अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखना होगा जिसके अंतर्गत प्रश्न विचाराधीन है; यदि अधिनियम स्वयं यह निर्धारित करता है कि एक स्थापना क्या है, तो कोई कठिनाई नहीं होती। किन्तु यदि अधिनियम यह निर्धारित नहीं करता कि एक स्थापना क्या है, तो सामान्य परीक्षणों को लागू किया जाना चाहिए,

1 (1950) 28 ए.एल.आर. 2 डी. 372.

अर्थात् यह निर्धारित करने के लिए कि विभिन्न भागों, शाखाओं आदि के बीच वास्तविक संबंध क्या है—क्या वे एक समेकित समग्र का निर्माण करते हैं या नहीं। सभी मामलों के लिए किसी एक विशेष परीक्षण को एकमात्र और अपरिवर्तनीय परीक्षण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और “स्थापना” शब्द को ऐसा व्यापक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए कि वह किसी भी संगठन को, जिसकी वह परिधि में आ सकता है, समाहित कर ले; अपितु उसका अर्थ सामान्य व्यावसायिक या वाणिज्यिक समझ के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

उन कारणों के आधार पर, जिन्हें हम पहले ही अभिव्यक्त कर चुके हैं, हमारा मत है कि औद्योगिक अधिकरण के माननीय अध्यक्ष ने यह मानकर त्रुटि की कि राजंका स्थित चूना पत्थर की खदान और झींकपानी स्थित कारखाना पृथक स्थापना हैं। हमारे मत में, वे अधिनियम की धारा 25 ई के खंड (iii) के अर्थ में एक ही स्थापना का निर्माण करते थे। उत्तरदाता श्रमिकों की ओर से यह स्वीकार किया गया कि कारखाने में छंटनी चूना पत्थर की आपूर्ति न होने के कारण हुई थी, जो चूना पत्थर की खदान में हुई हड़ताल के कारण थी, और यह हड़ताल उसी यूनियन द्वारा की गई थी, जिसमें कारखाने तथा खदान दोनों के श्रमिक सम्मिलित थे। इस स्थिति में, उपर्युक्त खंड (iii) में निहित अयोग्यता स्पष्ट रूप से लागू होती है और कारखाने के श्रमिक छंटनी क्षतिपूर्ति का दावा करने के अधिकारी नहीं थे।

अतः परिणाम यह है कि अपील स्वीकृत की जाती है और औद्योगिक अधिकरण का अधिनिर्णय निरस्त किया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में, जिसमें व्याख्या का एक जटिल प्रश्न प्रथम बार उत्पन्न हुआ है, व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

अपील स्वीकृत।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।